

वित्त विधेयक, 2009

[लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में]

[दि फाइनेंस बिल, 2009 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2009

आय-कर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष 2009-10
के लिए जारी रखने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2009 है ।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) धारा 2, 1 अप्रैल, 2009 को प्रवृत्त होगी ।

2008 का 18

2. वित्त अधिनियम, 2008 की धारा 2 और पहली अनुसूची के उपबंध, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले, यथास्थिति, आय-कर ।
5 निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के लिए आय-कर के संबंध में, निम्नलिखित उपांतरणों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे 1
अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले, यथास्थिति, निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के लिए आय-कर के संबंध में लागू होते हैं,
अर्थात्:—

(क) धारा 2 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

10 “(1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष
के लिए, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दर से आय-कर प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में प्रत्येक मामले में
उसमें उपबंधित रीति में परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजन के लिए बढ़ा दिया जाएगा।”;

(ii) उपधारा (2) में,—

15 (अ) प्रारंभिक भाग में, खंड (क) और खंड (ख) के उपखंड (ii) में, “एक लाख दस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर,
“एक लाख पचास हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) पहले परंतुक में,—

(I) “एक लाख दस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख पचास हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(II) “एक लाख पैंतालीस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख अस्सी हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(इ) दूसरे परंतुक में,—

20 (I) “एक लाख दस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख पचास हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(II) “एक लाख पचानवे हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दो लाख पचीस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(ई) तीसरे परंतुक में, “, आय-कर अधिनियम के अध्याय 8 के अधीन परिकलित आय-कर की रिबेट की रकम घटाने
के पश्चात्,” शब्दों, अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

1961 का 43

25 (iii) उपधारा (3) के प्रारंभिक भाग में, “आय-कर अधिनियम” शब्दों के स्थान पर, “आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे
इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(iv) उपधारा (13) के खंड (क) में, “2008” अंकों के स्थान पर, “2009” अंक रखे जाएंगे ;

(ख) पहली अनुसूची में,—

(i) भाग 1 के स्थान पर, निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात्:—

“भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस 5 भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,50,000 रु से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;	
(2) जहां कुल आय 1,50,000 रु से अधिक है किंतु 3,00,000 रु से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु से अधिक होती है ;	10
(3) जहां कुल आय 3,00,000 रु से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु से अधिक नहीं है	15,000 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;	
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है	55,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है ।	

(II) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है— 15

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,80,000 रु से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;	
(2) जहां कुल आय 1,80,000 रु से अधिक है किंतु 3,00,000 रु से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,80,000 रु से अधिक होती है ;	
(3) जहां कुल आय 3,00,000 रु से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु से अधिक नहीं है	12,000 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;	20
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है	52,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है ।	

(III) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,25,000 रु से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;	
(2) जहां कुल आय 2,25,000 रु से अधिक है, किन्तु 3,00,000 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,25,000 रु से अधिक होती है ;	
(3) जहां कुल आय 3,00,000 रु से अधिक है किंतु 5,00,000 रु से अधिक नहीं है	7,500 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;	30
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है	47,500 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;	

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में,—

(i) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर 35 के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो दस लाख रुपए से अधिक है अधिक नहीं होगी । 40

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;	
(2) जहां कुल आय 10,000 रु से अधिक है, किंतु 20,000 रु से अधिक नहीं है	1,000 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु से अधिक हो जाती है ;	45
(3) जहां कुल आय 20,000 रु से अधिक है	3,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु से अधिक हो जाती है ।	

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

5

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, आय-कर और ऐसे आय-कर पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

10

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

15

किसी कंपनी की दशा में,—

पैरा ङ

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में

कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

20

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् कितु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामित्व ; अथवा

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् कितु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस,

25

और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, वहां

50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, निम्नलिखित दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा,—

30

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ढाई प्रतिशत की दर से ;

परंतु ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, आय-कर और ऐसे आय-कर पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।”;

(ii) भाग 4 में, नियम 8 में,—

35

(अ) उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(1) जहां निर्धारिती की 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

40

(i) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

45

(ii) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

50

(iii) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस संक्षिप्त विधेयक का उद्देश्य आय-कर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए जारी रखना है।

2. विधेयक का खंड 2 आय-कर की दरों से संबंधित है। आय-कर की उन दरों को, जो वित्त अधिनियम, 2008 की पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट की गई थीं, वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए, उस वित्तीय वर्ष के दौरान चालू आय के संबंध में देय “अग्रिम कर” की संगणना करने के लिए और कतिपय विशेष प्रयोजनों के लिए, निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारणों के प्रयोजन के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव भी है कि उन्हीं दरों को वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए भी, उस वित्तीय वर्ष के दौरान चालू आय पर देय “अग्रिम कर” की संगणना करने के लिए और उक्त विशेष प्रयोजनों के लिए भी, जारी रखा जाए।

3. वेतन से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती के लिए दरों को, जो वित्त अधिनियम, 2008 की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट की गई थीं, वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान ऐसी आय से स्रोत पर कर की कटौती के लिए जारी रखने का भी प्रस्ताव है।

4. तदनुसार, विधेयक के खंड 2 में यह प्रस्ताव है कि वित्त अधिनियम, 2008 की धारा 2 के उपबंधों को, और उसकी पहली अनुसूची को, पारिणामिक और अन्य आवश्यक उपांतरणों सहित, यथास्थिति, निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए लागू किया जाए।

नई दिल्ली;
16 फरवरी, 2009

प्रणब मुखर्जी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के

अधीन

राष्ट्रपति की सिफारिश

[श्री प्रणब मुखर्जी, वित्त मंत्री से लोक सभा के महासचिव को 16 फरवरी, 2009 के पत्र सं० 2(10)-बी(डी)/2009 की प्रति]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु के बारे में अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन यह सिफारिश करती हैं कि वित्त विधेयक, 2009 लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाए और लोक सभा से यह भी सिफारिश करती हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

2. विधेयक, 16 फरवरी, 2009 को बजट प्रस्तुत किए जाने के ठीक पश्चात् लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाएगा।

लोक सभा

आय-कर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष 2009-10
के लिए जारी रखने के लिए
विधेयक

[श्री प्रणब मुखर्जी,
वित्त मंत्री]